



2026:AHC:126696

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता संख्या - 4814 वर्ष 2026

अर्णव चंदना

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अंबिकेश कुमार शर्मा, सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
2. यह आवेदन आवेदक की ओर धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, मुकदमा अपराध संख्या 199 वर्ष 2026 पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस जिला मुरादाबाद के तहत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक निर्दोष है और परोक्ष अभिप्राय के कारण वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था; अन्वेषण के दौरान उसका नाम प्रकाश में आया। आवेदक को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को उपर्युक्त मामले में किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और अन्वेषण/विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया।

5. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली का एनसीटी) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर विधि को अंतिम रूप से यह कहते हुए तय किया है कि अग्रिम जमानत हमेशा सीमित अवधि की नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त मामले में, यह विचारण के निष्कर्ष तक जारी रह सकता है। इसमें आगे यह धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत अभियुक्त के आचरण और व्यवहार के आधार पर, आरोप पत्र दाखिल करने के बाद विचारण तक जारी रह सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह धारित की है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा अन्वेषण के कार्यवाही को प्रभावित करने की संभावना, या साक्षियों को डराने सहित साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ने पर विचार करना होगा। यह भी धारित किया गया है कि न्यायालयों को आम तौर पर अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को जिम्मेदार ठहराया गया भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित किया जाना चाहिए, जबकि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम जमानत दी जाए या इसे अस्वीकार किया जाए। अनुमति देना है या नहीं देना यह विवेक का मामला है।

6. अग्रिम जमानत, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में यह विचारण के अंत तक आवेदक को अग्रिम जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला बनता है।

7. तदनुसार आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।

8. आवेदक- अर्णव चंदना को इस आदेश की एक प्रति के साथ आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित अन्वेषण अधिकारी/न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है, और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो प्रतिभू के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाएगा, और उसे विचारण के निष्कर्ष तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- (i) आवेदक मामले में निर्धारित तिथि पर संबंधित अन्वेषण अधिकारी/न्यायालय के समक्ष स्वयं को उपलब्ध कराएगा और अन्वेषण/विचारण में सहयोग करेगा।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस कार्यालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।
 - (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे उसके द्वारा संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के समक्ष जमा करना होगा।
9. किसी भी शर्त के विफल होने की स्थिति में, यह आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार हो सकता है।

(माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

आदेश दिनांक: जून 10, 2026

बृजेश